



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062021-228007
CG-DL-E-30062021-228007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2436]
No. 2436]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 30, 2021/आषाढ़ 9, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 30, 2021/ASHADHA 9, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2627(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि “पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” अन्तर्गत एलपीजी पदार्थों के परिवहन हेतु थाना : बाढ़, जिला : पटना, राज्य बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र (असाधारण) में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर, भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री जगदीश प्रसाद सिंह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निर्माण कार्यालय, ई.आर.पी.एल. पटना, हीरानिकेतन, कालीकैतनगर, बेलीरोड, पटना -801503 (बिहार) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

थाना : बाढ़	जिला : पटना		राज्य : बिहार		
मौजा /ग्राम	सर्वे / प्लोट सं.	सब-डीव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
शाहपुर-155	668		00	01	55
अंचल : बख्तियारपुर	669		00	01	29
	670		00	01	09

[फा.सं. आर.-11025(11)/235/2017-OR-I/ई-13716]

पी.सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2627(E).—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Thana : Barh, District: Patna in the State of Bihar for “Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur” for the transportation of LPG Product;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the **Extra ordinary** Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri JagdishPrasad Singh, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited. Construction Office, ERPL Patna, Hira Niketan, Kaliket Nagar, Balley Road, Patna -801503 (Bihar.).

SCHEDULE

Thana :Barh	District : Patna		State : Bihar		
Mouza / Village	Survey/Plot No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Shahpur-155	668		00	01	55
Anchal :Bakhtiyarpur	669		00	01	29
	670		00	01	09

[F.No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.